



Shivalik Rasayan Limited

Corporate Office: 1506, Chiranjiv Tower,
43, Nehru Place, New Delhi-19
Tel: +91 11 47589500 (30 Lines), 26221811/26418182
E-Mail : info@shivalikrasayan.com
Website: www.shivalikrasayan.com
CIN: L24237UR1979PLC005041

Ref: STEX/Results/Published-2026-27

Date: 17.08.2026

BSE Limited

Department of Corporate Services-Listing
PJ Towers, Dalal Street
Mumbai- 400001

National Stock Exchange of India Limited

Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex
Bandra (E) Mumbai- 400051

Scrip Code- 539148

Symbol- SHIVALIK

Sub. : Copy of Publication for Un-Audited Financial Results for the quarter ended on 30.06.2026

Dear Sir,

The Board of Directors at their Meeting held on 14.08.2026 adopted the Un-Audited Financial Results of the Company for the quarter ended on June 30, 2026.

The copy of the results published in the Financial Express and Vir Arjun dated August 15, 2026 is enclosed.

This is for your information and records.

Kindly acknowledge the receipt.

Thanking You,

Yours truly,

For Shivalik Rasayan Limited

Parul Choudhary

Company Secretary & Compliance Officer

ACS-34854

Encl: As above.

प्रदेश का कोई भी क्षेत्र विकास की मुख्यधारा से वंचित न रहे, यह हमारा संकल्प: सीएम

मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं

देहरादून,(वीओ)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, अमर शहीदों, वीर-वीरांगनाओं एवं राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए मुख्यमंत्री ने देश और प्रदेश की प्रगति में निरंतर योगदान दे रही उत्तराखण्ड की देवतुल्य जनता का भी आभार व्यक्त किया है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संस्था पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने



कहा है कि उत्तराखण्ड को अपनी सैन्य परंपरा, वीरता और राष्ट्रभक्ति की गौरवशाली विरासत पर गर्व है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखण्ड

विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रदेश में लगभग दो लाख करोड़ रुपये की विभिन्न विकास योजनाओं पर कार्य चल

रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में उत्तराखण्ड अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक विकास एवं निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए 30 से अधिक नई नीतियां लागू की गई हैं। मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना और वाइड्रेट विलेज योजना के माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्रों के गांवों के विकास को गति दी जा रही है। उत्तराखण्ड के स्थानीय उत्पादों को देश-विदेश के बाजार उपलब्ध

कराने के उद्देश्य से 'हाउस ऑफ हिमालयाज' ब्रांड की शुरुआत की गई है। प्रदेश में सेब, कीवी और इंगून फ्रूट मिशन के साथ-साथ संगंध कृषि को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बना है। प्रदेश में धर्मांतरण को रोकने के लिए बनाए गए कानून को प्रभावों ढंग से लागू किया जा रहा है। जनभावनाओं के अनुरूप प्रदेश में सख्त भू-कानून लागू किया गया है।

प्रदेश के ऊर्जा निगमों में 6 माह की अवधि के लिए हड़ताल निषिद्ध की गई

देहरादून,(वीओ)। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में विद्युत आपूर्ति एवं ऊर्जा सेवाओं की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। शासन द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड (यूजेवीएनएल), उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) तथा पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड (पिटकुल) की समस्त सेवाओं को 06 माह की अवधि के लिए आवश्यक सेवा घोषित करते हुए समस्त श्रेणी के सेवाओं में तात्कालिक प्रभाव से हड़ताल को छः माह के लिए निषिद्ध किया गया है।

उत्तर रेलवे	
निविदा सूचना	
भारत के राष्ट्रपति की ओर से प्रवर मण्डल अभियन्ता / समन्य द्वारा निम्नलिखित ई-टेंडर संस्था जिनके बंद होने की तिथि व समय प्रत्येक सामने अंकित है। जो उसी दिन 16:00 बजे तक प्राप्त किये जायेंगे। निम्नलिखित टेंडर संस्था के अन्तर्गत आमंत्रित किये जाते हैं। निविदा की कीमत तथा धरोहर राशि का भुगतान निविदादाता द्वारा केवल IREPS पोर्टल पर उपलब्ध नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि के माध्यम से आनलाइन भुगतान करना होगा। डिमाण्ड ड्राफ्ट, बैंकर चेक, डिपॉजिट रसीद आदि स्वीकार्य नहीं होगा। टेंडर से संबंधित अन्य जानकारी वेबसाइट www.ireps.gov.in पर देखें।	
टेंडर संस्था	154-DRM-MB-26-27 Date - 13.08.2026
कार्य का नाम	Supplying & Loading, leading, unloading & stacking of 68000 cum machine crushed stone ballast of 65 mm gauge size as per Railway Specification including loading of ballast into Rly. Wagons / hoppers at mandl Dhanaura Depot. under Sr.DEN/Co./MB.
टेंडर क्लोशिंग दिनांक	08.09.2026
टेंडर क्लोशिंग समय	16:00 hrs.
अनुमानित लागत (रु.)	10,49,58,000.00
धरोहर राशि (रु.)	20,99,200.00
कार्य पूर्ण करने की अवधि	10 माह
बिडिंग आरंभ तिथि	22.08.2026
टेंडर नं.: Sr. DEN-C/Publication/26-27 दिनांक: 13.08.2026 2801/2026	
ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ	

HDB FINANCIAL SERVICES		एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड	सफरफ़ी अधिनियम, 2002 के अधीन ई-नीलामी बिक्री सूचना
From the trusted family of HDFC Bank		पंजीकृत कार्यालय: राधिका, दूसरा तल, गॉर्डन रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद-380009	शाखा कार्यालय: एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, प्रथम तल, एससीओ नं. 70, सैक्टर-47डी, चंडीगढ़-160047
एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के तौर पर अहोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसमर्पितों के प्रतिनिधिकरण एवं पुनर्निर्माण की धारा 13(2) और प्रसिध्ति दित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन के अधीन जारी सूचना के अनुसार कर कम्पनी के बकायों की वसूली के लिए "जैसा है जहां है" और "जो है जैसा है" आधार पर सम्पत्ति की बिक्री अधिकार के साथ निम्नलिखित ऋण खातों की निम्नलिखित सम्पत्ति को अपने कब्जे में लिया है।			
1. कर्जदार एवं गारंटर का नाम एवं पता	सम्पत्ति का विवरण	1. ई-नीलामी की तिथि एवं समय	1. आरक्षित मूल्य
2. कुल बकाया + ब्याज राशि		2. ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	2. सम्पत्ति की ईएमडी
		3. सम्पत्ति की निरीक्षण की तिथि एवं समय	
1. योगेश गंभीर 20 ईस्ट II रेस्ट कैम्प लग्नी रोड देहरादून-248001 उत्तराखंड, इसके साथ: संपत्ति प्लॉट नं. एए-116 से संबंधित संपत्ति का भाग, ट्रांसपोर्ट नगर योजना, सेवला खुर्द देहरादून 248001	संपत्ति प्लॉट नं. एए-116 का भाग, ट्रांसपोर्ट नगर योजना, सेवला खुर्द, देहरादून एरिया परिमाण 32 वर्ग मीटर के सभी भाग एवं हिस्से स्वामित्व योगेश गंभीर वाया बिक्री विलेज बैकानं 2163 दिनांक 07.03.2007, उप पंजीयक कार्यालय देहरादून पंजीकृत जो कि चिरी है: पूर्व प्लॉट नं. एए-114, पश्चिम: प्लॉट नं. एए-116, उत्तर: प्लॉट नं एए-104, दक्षिण: रोड	1. ई-नीलामी तिथि: 16 सितम्बर 2026 प्रातः 10.30 बजे से प्रातः 11.30 बजे तक 5 मिनट विस्तार के साथ 2. केवाईसी के साथ ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि: 14 सितम्बर 2026 को सायं 5 बजे तक 3. निरीक्षण की तिथि: 11 सितम्बर 2026 को दोप: 1.00 बजे से अप. 2.00 बजे आईएसटी के बीच	आरक्षित मूल्य (आईएनआर में): रु. 4403200 /- (बीबीबीस लाख तीन हजार दो सौ रूपय मात्र) ईएमडी राशि (आईएनआर में) रु. 440320 /- (चार लाख चालीस हजार तीन सौ बीस रुपए मात्र)
1. जे एसएस एस संस मकान नं. 10 सेवला कला जीएफएस रोड देहरादून उत्तराखंड-248002	संपत्ति प्लॉट नं. एए-115 का भाग, ट्रांसपोर्ट नगर योजना, सेवला खुर्द, देहरादून एरिया परिमाण 104.08 वर्ग मीटर मौजा सेवला कला, पुराना पछावतून, जिला देहरादून, स्वामित्व श्रीमती उमा किशोरी पत्नी स्वर्गीय श्री जगदीश सिंह अधिकृत प्रतिनिधि के तौर पर एवं पुत्र श्री अजय मोहन सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री जगदीश सिंह जो कि उप पंजीयक कार्यालय देहरादून में बुक नं. 1 वॉल्यूम नं. 1440, पेज 306, अतिरिक्त फाइल नं. 1 वॉल्यूम नं. 1498, पेज 303 से 310 दस्तावेज नं. 4631 दिनांक 26.07.2005 के साथ पंजीकृत है।	1. ई-नीलामी तिथि: 16 सितम्बर 2026 प्रातः 10.30 बजे से प्रातः 11.30 बजे तक 5 मिनट विस्तार के साथ 2. केवाईसी के साथ ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि: 14 सितम्बर 2026 को सायं 5 बजे तक 3. निरीक्षण की तिथि: 11 सितम्बर 2026 को दोप: 1.00 बजे से अप. 2.00 बजे आईएसटी के बीच	आरक्षित मूल्य (आईएनआर में): रु. 13590000 /- (एक करोड़ पैंतीस लाख नब्बे हजार रुपए मात्र) ईएमडी राशि (आईएनआर में) रु. 1359000 /- (तीरह लाख उनसठ हजार रुपए)
2. अजय मोहन सिंह मकान नं. 10 सेवला कला जीएफएस रोड देहरादून उत्तराखंड-248002	संपत्ति प्लॉट नं. एए-115 का भाग, ट्रांसपोर्ट नगर योजना, सेवला खुर्द, देहरादून एरिया परिमाण 104.08 वर्ग मीटर मौजा सेवला कला, पुराना पछावतून, जिला देहरादून, स्वामित्व श्रीमती उमा किशोरी पत्नी स्वर्गीय श्री जगदीश सिंह अधिकृत प्रतिनिधि के तौर पर एवं पुत्र श्री अजय मोहन सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री जगदीश सिंह जो कि उप पंजीयक कार्यालय देहरादून में बुक नं. 1 वॉल्यूम नं. 1440, पेज 306, अतिरिक्त फाइल नं. 1 वॉल्यूम नं. 1498, पेज 303 से 310 दस्तावेज नं. 4631 दिनांक 26.07.2005 के साथ पंजीकृत है।	1. ई-नीलामी तिथि: 16 सितम्बर 2026 प्रातः 10.30 बजे से प्रातः 11.30 बजे तक 5 मिनट विस्तार के साथ 2. केवाईसी के साथ ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि: 14 सितम्बर 2026 को सायं 5 बजे तक 3. निरीक्षण की तिथि: 11 सितम्बर 2026 को दोप: 1.00 बजे से अप. 2.00 बजे आईएसटी के बीच	आरक्षित मूल्य (आईएनआर में): रु. 13590000 /- (एक करोड़ पैंतीस लाख नब्बे हजार रुपए मात्र) ईएमडी राशि (आईएनआर में) रु. 1359000 /- (तीरह लाख उनसठ हजार रुपए)
3. उमा किशोरी मकान नं. 10 सेवला कला जीएफएस रोड देहरादून उत्तराखंड-248002	संपत्ति प्लॉट नं. एए-115 का भाग, ट्रांसपोर्ट नगर योजना, सेवला खुर्द, देहरादून एरिया परिमाण 104.08 वर्ग मीटर मौजा सेवला कला, पुराना पछावतून, जिला देहरादून, स्वामित्व श्रीमती उमा किशोरी पत्नी स्वर्गीय श्री जगदीश सिंह अधिकृत प्रतिनिधि के तौर पर एवं पुत्र श्री अजय मोहन सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री जगदीश सिंह जो कि उप पंजीयक कार्यालय देहरादून में बुक नं. 1 वॉल्यूम नं. 1440, पेज 306, अतिरिक्त फाइल नं. 1 वॉल्यूम नं. 1498, पेज 303 से 310 दस्तावेज नं. 4631 दिनांक 26.07.2005 के साथ पंजीकृत है।	1. ई-नीलामी तिथि: 16 सितम्बर 2026 प्रातः 10.30 बजे से प्रातः 11.30 बजे तक 5 मिनट विस्तार के साथ 2. केवाईसी के साथ ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि: 14 सितम्बर 2026 को सायं 5 बजे तक 3. निरीक्षण की तिथि: 11 सितम्बर 2026 को दोप: 1.00 बजे से अप. 2.00 बजे आईएसटी के बीच	आरक्षित मूल्य (आईएनआर में): रु. 13590000 /- (एक करोड़ पैंतीस लाख नब्बे हजार रुपए मात्र) ईएमडी राशि (आईएनआर में) रु. 1359000 /- (तीरह लाख उनसठ हजार रुपए)
4. नीरजा सिंह मकान नं. 10 सेवला कला जीएफएस रोड देहरादून उत्तराखंड-248002	संपत्ति प्लॉट नं. एए-115 का भाग, ट्रांसपोर्ट नगर योजना, सेवला खुर्द, देहरादून एरिया परिमाण 104.08 वर्ग मीटर मौजा सेवला कला, पुराना पछावतून, जिला देहरादून, स्वामित्व श्रीमती उमा किशोरी पत्नी स्वर्गीय श्री जगदीश सिंह अधिकृत प्रतिनिधि के तौर पर एवं पुत्र श्री अजय मोहन सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री जगदीश सिंह जो कि उप पंजीयक कार्यालय देहरादून में बुक नं. 1 वॉल्यूम नं. 1440, पेज 306, अतिरिक्त फाइल नं. 1 वॉल्यूम नं. 1498, पेज 303 से 310 दस्तावेज नं. 4631 दिनांक 26.07.2005 के साथ पंजीकृत है।	1. ई-नीलामी तिथि: 16 सितम्बर 2026 प्रातः 10.30 बजे से प्रातः 11.30 बजे तक 5 मिनट विस्तार के साथ 2. केवाईसी के साथ ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि: 14 सितम्बर 2026 को सायं 5 बजे तक 3. निरीक्षण की तिथि: 11 सितम्बर 2026 को दोप: 1.00 बजे से अप. 2.00 बजे आईएसटी के बीच	आरक्षित मूल्य (आईएनआर में): रु. 13590000 /- (एक करोड़ पैंतीस लाख नब्बे हजार रुपए मात्र) ईएमडी राशि (आईएनआर में) रु. 1359000 /- (तीरह लाख उनसठ हजार रुपए)

इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि नीलामी के रखी गई सम्पत्तियों पर प्रभार, अधिभार से संबंधित आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए शाखा कार्यालय में सम्पर्क करें। खरीददार को सभी अतिरिक्त प्रभारों, अधिभारों और किसी तृतीय पक्ष हित के संबंध में अपना स्वयं की पड़ताल एवं मूल्यांकन कर सम्पत्ति के सभी पक्षजुओं से स्वयं को सुरक्षित कर लेना चाहिए। सम्पत्ति से जुड़े सभी सांख्यिक बकाया जैसे सम्पत्ति कर, बिजली का बकाया, और अन्य बकायें, यदि कोई हो, का मूल्यांकन किया जाएगा और सफल बोलीदाता / भागी खरीददार द्वारा इसका भुगतान किया जाएगा। बोलीदाता / खरीददार को अपने स्वयं के हित में उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति / सम्पत्तियों के संबंध में सभी संगत जानकारी अपनी बोली जमा करने से पूर्व प्राप्त कर लेनी चाहिए।

ऑनलाइन बोली/ नीलामी के नियम व शर्तें: (1) नीलामी बिक्री उपरोक्त दी गई तालिका में वर्णित तिथि को 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ वेबसाइट <https://bankeauctions.com> या ऑनरान टाउगर मोबाइल एप माध्यम से "ऑनलाइन ई-नीलामी" के माध्यम से आयोजित की जाएगी। 2. इच्छुक बोलीदाताओं को वेब पोर्टल <https://bankeauctions.com> के माध्यम से ईएमडी जमा करनी होगी (यूजर आईडी एवं पासवर्ड ऑनलाइन आईडी एवं पासवर्ड के माध्यम से वेबसाइट <https://bankeauctions.in> पर अपना नाम पंजीकरण करके निशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। ईएमडी उपरोक्त वर्णित खातों पर ईएमडीफंड के माध्यम से भी जमा की जाएगी। (पंजीकरण (एक बार) के साथ वेब पोर्टल पर इच्छुक बोलीदाता को बोली दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय से पूर्व वेब पोर्टल पर निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करने होंगे। 1) एनईएफटी / आरटीजीएस बालन या डिमांड ड्राफ्ट की कॉपी, 2) पेन कार्ड की कॉपी, 3) पद्यान / पते का प्रमाण (केवाईसी) तथा स्व-सत्यापित धोहर आईडी कार्ड/ ड्राइविंग लाइसेंस /पासपोर्ट आदि जिसके बिना बोली को निरस्त कर दिया जाएगा। संलग्नक-न एव II की स्कैन कॉपी को (वेब पोर्टल <https://bankeauctions.com> से डाउनलोड किया जा सकता है) को विभिन्न भरने एवं हस्ताक्षरित करना होगा। इच्छुक बोलीदाता जिनको लॉन्गटर्म आईडी एवं पासवर्ड सृजित करने, डाटा अपलोडिंग, बोली दस्तावेज जमा करने, ऑनलाइन आपसी बोली प्रक्रिया के लिए प्रशिक्षण / प्रदर्शन करने के लिए मेसर्स सी। इंडिया प्रा. लि., प्लॉट नं. 68, तीसरा तल, सेक्टर-44, गुडगाँव-122003, ई-मेल delhi@ctiindia.com 9813887931 से सम्पर्क कर सकते हैं और संपत्ति संबंधित किसी भी पृष्ठताण के लिए प्राधिकृत अधिकारी श्री विकास आनन्द, मोबाइल 971103084, ई-मेल vikas.anand@hdbfs.com, नवल किशोर, मोबाइल 7696442530, ई-मेल naval.kishore@hdbfs.com और श्री विशाल रितपुरकर, मोबाइल 9833671006, ई-मेल vishal.ritpurkar@hdbfs.com से सौभाग्य से शनिवार तक कार्यालय अवधि के दौरान सम्पर्क कर सकते हैं। 3. इच्छुक खरीददार / बोलीदाता को उपरोक्त वर्णित तिथि एवं समय पर या उससे पूर्व "एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड" के पक्ष में कहीं भी / लुधियाना में देय किसी राष्ट्रीयकृत या अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के डिमांड ड्राफ्ट / पे-आर्डर के माध्यम से या "एचडीबीएफएस जनरल कोलिसन", खाता नं. 00210310002748, आईएफएससी कोड-एचडीएफसी00000021, एमआईसीआर कोड: एमआईसीआर500240002; शाखा लकड़ीकापुल, हैदराबाद के खाते में एनईएफटी / आरटीजीएस के द्वारा धरोहर जमा राशि (ईएमडी) जमा करनी होगी। (कृपया उपरोक्त वर्णित तालिका को देखें) और अपना नाम <https://bankeauctions.com> पर पंजीकृत करके सेवा प्राप्त करें ई-नीलामी के लिए अपना यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करें या निशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त करें। वेबसाइट पर पंजीकरण के बाद बोलीदाता को उपरोक्त तालिका में वर्णित ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि तक या उससे पूर्व वेबसाइट पर निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। (1) एनईएफटी / आरटीजीएस / बालन / डीडी / पे आर्डर की प्रति (2) पेन कार्ड की प्रति और (3) पते का प्रमाण (पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बिजली का बिल, टेलीफोन बिल, पंजीकृत छुट्टी लाइसेंस समझौता) और इनकी हार्डकॉपी उपरोक्त वर्णित शाखा कार्यालय में भी जमा करनी होगी। (4) बोली के साथ उपरोक्त वर्णित तिथि एवं समय पर या उससे पूर्व ईएमडी (आरक्षित मूल्य के 10 प्रतिशत के बराबर) "एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड" के पक्ष में कहीं भी / चंडीगढ़ में देय किसी राष्ट्रीयकृत या अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के डिमांड ड्राफ्ट / पे-आर्डर के माध्यम से या "एचडीबीएफएस जनरल कोलिसन", खाता नं. 00210310002748, आईएफएससी कोड-एचडीएफसी00000021; एमआईसीआर कोड: एमआईसीआर500240002; शाखा लकड़ीकापुल, हैदराबाद के खाते में एनईएफटी / आरटीजीएस के द्वारा संलग्न होगी चाहिए। (6) अगुण बोली या अंतिम तिथि के बाद प्राप्त बोलियों को अद्य माना जाएगा और इन्हें निरस्त कर दिया जाएगा। (ईएमडी को कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। बोलीदाता द्वारा एक बार बोली जमा करने के बाद उस वापिस लेने की अनुमति नहीं होगी। यदि बोलीदाता बोली प्रक्रिया में मांग नहीं लेता है तो बिना कोई सूचना दिये उसकी ईएमडी राशि जमा कर लेनी जाएगी। (तथापि असफल बोलीदाताओं की ईएमडी बिना ब्याज के लौटा दी जाएगी। (6) बोली दाखली मूल्य रु. 10,000 /- (दस हजार रुपए मात्र) के साथ आरक्षित मूल्य से ऊपर जमा की जानी चाहिए और बोलीदाता इसे रु. 10,000 /- (दस हजार रुपए मात्र) के गुणांक में अपना प्रस्ताव बना सकता है। प्राधिकृत अधिकारी सम्पत्ति को आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेचा जाएगा।। (7) सफल बोलीदाता को बोली के तुरंत बाद और अगले कार्यदिवस से पूर्व तक "एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड" के पक्ष में कोई भी / चंडीगढ़ में देय किसी राष्ट्रीयकृत या अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के डिमांड ड्राफ्ट / पे-आर्डर के माध्यम से या "एचडीबीएफएस जनरल कोलिसन", खाता नं. 00210310002748; आईएफएससी कोड-एचडीबीएफसी00000021, एमआईसीआर कोड: एमआईसीआर500240002; शाखा लकड़ीकापुल, हैदराबाद के खाते में एनईएफटी / आरटीजीएस के द्वारा बिक्री कीमत (ईएमडी सहित) का 25 प्रतिशत जमा करना होगा और बिक्री कीमत की शेष राशि कम्पनी द्वारा बिक्री की पूर्ति के 15 दिनों के भीतर जमा करनी होगी। इच्छुक बोलीदाता द्वारा भुगतान की गई ईएमडी एवं बिक्री मूल्य पर कोई ब्याज नहीं होगा। सफल बोलीदाता द्वारा बिक्री के किसी भी नियम का उल्लंघन करने पर ईएमडी या बिक्री कीमत का 10 प्रतिशत, जैसा भी मामला हो, कम्पनी द्वारा जब्त कर लिया जाएगा। (8) बिक्री के संदर्भ में अनुपालन में प्राधिकृत अधिकारी उच्चतम बोलीदाता के पक्ष में "बिक्री प्रमाणपत्र" जारी करेंगे। (रमि व्यव जैसे स्टैम्प ड्यूटी, पंजीकरण प्रभार, कन्वीयेंस, टीडीएस आदि का वहन खरीददार को करना होगा। (9) कम्पनी लागू किसी भी नियम के संबंध में नीलामी की जाने वाली सम्पत्ति के संबंध में या उसके किसी भी बकायें अथवा बकाया बिजली / पानी का बिल, सम्पत्ति कर या अन्य प्रभार यदि कोई हो, को जमा करने स्वीकृत / पंजीकृत होने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। (10) सफल बोलीदाता को किसी भी विकास प्राधिकरण, यदि कोई हो, के कर यूटिलिटी बिल और कोई भी निगम कर या किसी अन्य प्राधिकरण / एजेंसी के लंबित बकायों सहित बिक्री प्रमाणपत्र के पंजीकरण के लिए स्टैम्प ड्यूटी / पंजीकरण प्रभार का वहन करना होगा। (11) प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताएँ या बिना कोई पूर्व सूचना दिये सभी प्रस्ताव / बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने या बिक्री को स्थगित / निरस्त करने का अधिकार रखता है। (12) असफल बोलीदाता को बोली दाखली मूल्य से कम पर नहीं बेचा जाएगा। (13) सफल बोलीदाता को बोली के तुरंत बाद और अगले कार्यदिवस से पूर्व तक "एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड" के पक्ष में कोई भी / चंडीगढ़ में देय किसी राष्ट्रीयकृत या अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के डिमांड ड्राफ्ट / पे-आर्डर के माध्यम से या "एचडीबीएफएस जनरल कोलिसन", खाता नं. 00210310002748; आईएफएससी कोड-एचडीबीएफसी00000021, एमआईसीआर कोड: एमआईसीआर500240002; शाखा लकड़ीकापुल, हैदराबाद के खाते में एनईएफटी / आरटीजीएस के द्वारा बिक्री कीमत (ईएमडी सहित) का 25 प्रतिशत जमा करना होगा और बिक्री कीमत की शेष राशि कम्पनी द्वारा बिक्री की पूर्ति के 15 दिनों के भीतर जमा करनी होगी। इच्छुक बोलीदाता द्वारा भुगतान की गई ईएमडी एवं बिक्री मूल्य पर कोई ब्याज नहीं होगा। सफल बोलीदाता द्वारा बिक्री के किसी भी नियम का उल्लंघन करने पर ईएमडी या बिक्री कीमत का 10 प्रतिशत, जैसा भी मामला हो, कम्पनी द्वारा जब्त कर लिया जाएगा। (14) बिक्री के संदर्भ में अनुपालन में प्राधिकृत अधिकारी उच्चतम बोलीदाता के पक्ष में "बिक्री प्रमाणपत्र" जारी करेंगे। (रमि व्यव जैसे स्टैम्प ड्यूटी, पंजीकरण प्रभार, कन्वीयेंस, टीडीएस आदि का वहन खरीददार को करना होगा। (9) कम्पनी लागू किसी भी नियम के संबंध में नीलामी की जाने वाली सम्पत्ति के संबंध में या उसके किसी भी बकायें अथवा बकाया बिजली / पानी का बिल, सम्पत्ति कर या अन्य प्रभार यदि कोई हो, को जमा करने स्वीकृत / पंजीकृत होने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। (10) सफल बोलीदाता को किसी भी विकास प्राधिकरण, यदि कोई हो, के कर यूटिलिटी बिल और कोई भी निगम कर या किसी अन्य प्राधिकरण / एजेंसी के लंबित बकायों सहित बिक्री प्रमाणपत्र के पंजीकरण के लिए स्टैम्प ड्यूटी / पंजीकरण प्रभार का वहन करना होगा। (11) प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताएँ या बिना कोई पूर्व सूचना दिये सभी प्रस्ताव / बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने या बिक्री को स्थगित / निरस्त करने का अधिकार रखता है। (12) असफल बोलीदाता को बोली दाखली मूल्य से कम पर नहीं बेचा जाएगा। (13) सफल बोलीदाता को बोली के तुरंत बाद और अगले कार्यदिवस से पूर्व तक "एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड" के पक्ष में कोई भी / चंडीगढ़ में देय किसी राष्ट्रीयकृत या अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के डिमांड ड्राफ्ट / पे-आर्डर के माध्यम से या "एचडीबीएफएस जनरल कोलिसन", खाता नं. 00210310002748; आईएफएससी कोड-एचडीबीएफसी00000021, एमआईसीआर कोड: एमआईसीआर500240002; शाखा लकड़ीकापुल, हैदराबाद के खाते में एनईएफटी / आरटीजीएस के द्वारा बिक्री कीमत (ईएमडी सहित) का 25 प्रतिशत जमा करना होगा और बिक्री कीमत की शेष राशि कम्पनी द्वारा बिक्री की पूर्ति के 15 दिनों के भीतर जमा करनी होगी। इच्छुक बोलीदाता द्वारा भुगतान की गई ईएमडी एवं बिक्री मूल्य पर कोई ब्याज नहीं होगा। सफल बोलीदाता द्वारा बिक्री के किसी भी नियम का उल्लंघन करने पर ईएमडी या बिक्री कीमत का 10 प्रतिशत, जैसा भी मामला हो, कम्पनी द्वारा जब्त कर लिया जाएगा। (14) बिक्री के संदर्भ में अनुपालन में प्राधिकृत अधिकारी उच्चतम बोलीदाता के पक्ष में "बिक्री प्रमाणपत्र" जारी करेंगे। (रमि व्यव जैसे स्टैम्प ड्यूटी, पंजीकरण प्रभार, कन्वीयेंस, टीडीएस आदि का वहन खरीददार को करना होगा। (9) कम्पनी लागू किसी भी नियम के संबंध में नीलामी की जाने वाली सम्पत्ति के संबंध में या उसके किसी भी बकायें अथवा बकाया बिजली / पानी का बिल, सम्पत्ति कर या अन्य प्रभार यदि कोई हो, को जमा करने स्वीकृत / पंजीकृत होने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। (10) सफल बोलीदाता को किसी भी विकास प्राधिकरण, यदि कोई हो, के कर यूटिलिटी बिल और कोई भी निगम कर या किसी अन्य प्राधिकरण / एजेंसी के लंबित बकायों सहित बिक्री प्रमाणपत्र के पंजीकरण के लिए स्टैम्प ड्यूटी / पंजीकरण प्रभार का वहन करना होगा। (11) प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताएँ या बिना कोई पूर्व सूचना दिये सभी प्रस्ताव / बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने या बिक्री को स्थगित / निरस्त करने का अधिकार रखता है। (12) असफल बोलीदाता को बोली दाखली मूल्य से कम पर नहीं बेचा जाएगा। (13) सफल बोलीदाता को बोली के तुरंत बाद और अगले कार्यदिवस से पूर्व तक "एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड" के पक्ष में कोई भी / चंडीगढ़ में देय किसी राष्ट्रीयकृत या अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के डिमांड ड्राफ्ट / पे-आर्डर के माध्यम से या "एचडीबीएफएस जनरल कोलिसन", खाता नं. 00210310002748; आईएफएससी कोड-एचडीबीएफसी00000021, एमआईसीआर कोड: एमआईसीआर500240002; शाखा लकड़ीकापुल, हैदराबाद के खाते में एनईएफटी / आरटीजीएस के द्वारा बिक्री कीमत (ईएमडी सहित) का 25 प्रतिशत जमा करना होगा और बिक्री कीमत की शेष राशि कम्पनी द्वारा बिक्री की पूर्ति के 15 दिनों के भीतर जमा करनी होगी। इच्छुक बोलीदाता द्वारा भुगतान की गई ईएमडी एवं बिक्री मूल्य पर कोई ब्याज नहीं होगा। सफल बोलीदाता द्वारा बिक्री के किसी भी नियम का उल्लंघन करने पर ईएमडी या बिक्री कीमत का 10 प्रतिशत, जैसा भी मामला हो, कम्पनी द्वारा जब्त कर लिया जाएगा। (14) बिक्री के संदर्भ में अनुपालन में प्राधिकृत अधिकारी उच्चतम बोलीदाता के पक्ष में "बिक्री प्रमाणपत्र" जारी करेंगे। (रमि व्यव जैसे स्टैम्प ड्यूटी, पंजीकरण प्रभार, कन्वीयेंस, टीडीएस आदि का वहन खरीददार को करना होगा। (9) कम्पनी लागू किसी भी नियम के संबंध में नीलामी की जाने वाली सम्पत्ति के संबंध में या उसके किसी भी बकायें अथवा बकाया बिजली / पानी का बिल, सम्पत्ति कर या अन्य प्रभार यदि कोई हो, को जमा करने स्वीकृत / पंजीकृत होने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। (10) सफल बोलीदाता को किसी भी विकास प्राधिकरण, यदि कोई हो, के कर यूटिलिटी बिल और कोई भी निगम कर या किसी अन्य प्राधिकरण / एजेंसी के लंबित बकायों सहित बिक्री प्रमाणपत्र के पंजीकरण के लिए स्टैम्प ड्यूटी / पंजीकरण प्रभार का वहन करना होगा। (11) प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताएँ या बिना कोई पूर्व सूचना दिये सभी प्रस्ताव / बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने या बिक्री को स्थगित / निरस्त करने का अधिकार रखता है। (12) असफल बोलीदाता को बोली दाखली मूल्य से कम पर नहीं बेचा जाएगा। (13) सफल बोलीदाता को बोली के तुरंत बाद और अगले कार्यदिवस से पूर्व तक "एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड" के पक्ष में कोई भी / चंडीगढ़ में देय किसी राष्ट्रीयकृत या अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के डिमांड ड्राफ्ट / पे-आर्डर के माध्यम से या "एचडीबीएफएस जनरल कोलिसन", खाता नं. 00210310002748; आईएफएससी कोड-एचडीबीएफसी00000021, एमआईसीआर कोड: एमआईसीआर500240002; शाखा लकड़ीकापुल, हैदराबाद के खाते में एनईएफटी / आरटीजीएस के द्वारा बिक्री कीमत (ईएमडी सहित) का 25 प्रतिशत जमा करना होगा और बिक्री कीमत की शेष राशि कम्पनी द्वारा बिक्री की पूर्ति के 15 दिनों के भीतर जमा करनी होगी। इच्छुक बोलीदाता द्वारा भुगतान की गई ईएमडी एवं बिक्री मूल्य पर कोई ब्याज नहीं होगा। सफल बोलीदाता द्वारा बिक्री के किसी भी नियम का उल्लंघन करने पर ईएमडी या बिक्री कीमत का 10 प्रतिशत, जैसा भी मामला हो, कम्पनी द्वारा जब्त कर लिया जाएगा। (14) बिक्री के संदर्भ में अनुपालन में प्राधिकृत अधिकारी उच्चतम बोलीदाता के पक्ष में "बिक्री प्रमाणपत्र" जारी करेंगे। (रमि व्यव जैसे स्टैम्प ड्यूटी, पंजीकरण प्रभार, कन्वीयेंस, टीडीएस आदि का वहन खरीददार को करना होगा। (9) कम्पनी लागू किसी भी नियम के संबंध में नीलामी की जाने वाली सम्पत्ति के संबंध में या उसके किसी भी बकायें अथवा बकाया बिजली / पानी का बिल, सम्पत्ति कर या अन्य प्रभार यदि कोई हो, को जमा करने स्वीकृत / पंजीकृत होने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। (10) सफल बोलीदाता को किसी भी विकास प्राधिकरण, यदि कोई हो, के कर यूटिलिटी बिल और कोई भी निगम कर या किसी अन्य प्राधिकरण / एजेंसी के लंबित बकायों सहित बिक्री प्रमाणपत्र के पंजीकरण के लिए स्टैम्प ड्यूटी / पंजीकरण प्रभार का वहन करना होगा। (11) प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताएँ या बिना कोई पूर्व सूचना दिये सभी प्रस्ताव / बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने या बिक्री को स्थगित / निरस्त करने का अधिकार रखता है। (12) असफल बोलीदाता को बोली दाखली मूल्य से कम पर नहीं बेचा जाएगा। (13) सफल बोलीदाता को बोली के तुरंत बाद और अगले कार्यदिवस से पूर्व तक "एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड" के पक्ष में कोई भी / चंडीगढ़ में देय किसी राष्ट्रीयकृत या अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के डिमांड ड्राफ्ट / पे-आर्डर के माध्यम से या "एचडीबीएफएस जनरल कोलिसन", खाता नं. 00210310002748; आईएफएससी कोड-एचडीबीएफसी00000021, एमआईसीआर कोड: एमआईसीआर500240002; शाखा लकड़ीकापुल, हैदराबाद के खाते में एनईएफटी / आरटीजीएस के द्वारा बिक्री कीमत (ईएमडी सहित) का 25 प्रतिशत जमा करना होगा और बिक्री कीमत की शेष राशि कम्पनी द्वारा बिक्री की पूर्ति के 15 दिनों के भीतर जमा करनी होगी। इच्छुक बोलीदाता द्वारा भुगतान की गई ईएमडी एवं बिक्री मूल्य पर कोई ब्याज नहीं होगा। सफल बोलीदाता द्वारा बिक्री के किसी भी नियम का उल्लंघन करने पर ईएमडी या बिक्री कीमत का 10 प्रतिशत, जैसा भी मामला हो, कम्पनी द्वारा जब्त कर लिया जाएगा। (14) बिक्री के संदर्भ में अनुपालन में प्राधिकृत अधिकारी उच्चतम बोलीदाता के पक्ष में "बिक्री प्रमाणपत्र" जारी करेंगे। (रमि व्यव जैसे स्टैम्प ड्यूटी, पंजीकरण प्रभार, कन्वीयेंस, टीडीएस आदि का वहन खरीददार को करना होगा। (9) कम्पनी लागू किसी भी नियम के संबंध में नीलामी की जाने वाली सम्पत्ति के संबंध में या उसके किसी भी बकायें अथवा बकाया बिजली / पानी का बिल, सम्पत्ति कर या अन्य प्रभार यदि कोई हो, को जमा करने स्वीकृत / पंजीकृत होने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। (10) सफल बोलीदाता को किसी भी विकास प्राधिकरण, यदि कोई हो, के कर यूटिलिटी बिल और कोई भी निगम कर या किसी अन्य प्राधिकरण / एजेंसी के लंबित बकायों सहित बिक्री प्रमाणपत्र के पंजीकरण के लिए स्टैम्प ड्यूटी / पंजीकरण प्रभार का वहन करना होगा। (11) प्राधिकृत